

2024/73

फर्द अहकाम

निर्णय
06.05.2024

(नियम 15)

मायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

सुरेन्द्र

बनाम

अमरसिंह आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 163 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
30.04.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 06.05.2024 को पेश हो। om 7	Surenendra
06.05.2024	वृत्तुलार फरिदुल उपाधिकारी वादी व पूर्णवकीलगण को वाद के इतिहास अर्थात् आक्षेप राखी गमा पेश किया जिसे वाद तारीख शामिल करके किया गया। प्रभावली वास्ते स्टेट एजव आदी व लकीक 06.05.2024 को पेश हो। om 7	अमर सिंह प्रभुमान कमलेश्वर Surya
08.05.2024	वृत्तुलार फरिदुल उपाधिकारी स्टेट एजव प्राप्त हुआ कए सुनी गई। प्रभावली का भवलोक्त विषयगत प्रभावली पर उपलब्ध रिपोर्ट आदि की पूर्णवकील से राखी गमा के आधार पर वाद की डिक्री किया जाया है। पूर्ण विषय सहित निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल करके किया जाये। प्रभावली तस्पर के अंग की जाकर वाद तारीख वकालील जाया हुआ इतिहास इफतर हो। om 7	



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 163/2024 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट

सुरेन्द्र पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन खेतावाली ढाणी (99 आर.डी.) तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

-वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र जगमाल जाति जाट साकिन खेतावाली ढाणी (99 आर.डी.) तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
2. प्रेम कुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन खेतावाली ढाणी (99 आर.डी.) तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. करीना गौदारा पुत्री अमरसिंह जाति जाट साकिन खेतावाली ढाणी (99 आर.डी.) तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील-वादी

श्री दिनेश कुमार भादू प्रतिवादी सं. 1 ता 3

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 4

निर्णय दिनांक- 09.05.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर

के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी सुरेन्द्र व प्रतिवादी स0 2 प्रेम कुमार को ब हिस्सा बराबर चक 13 के.डब्लु.डी.बी. के प0न0 133/416 (9) के किला न0 1/1, 2 ता 9, 10/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1 की 4.9600 है0 इसी चक 13 के.डब्लु.डी.बी. के दुसरे खाता के प0 न0 133/416 (9) के किला न0 21/2, 22 ता 25 की 1.2400 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।
2. प्रतिवादी स0 1 अमरसिंह के नाम चक 2 एन.जी.एम. के खाता स0 3 के प0 न0 130/417 (18) के किला न0 2 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 12 ता 14, 15/1, 15/2 की 3.0360 है0 प0 न0 131/417 (19) के किला न0 1, 2, 8 ता 13 की 2.0240 है0 कुल 5.060 है0 भूमि यथावत रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 09.05.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर